प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –530 / 2023

अनवान : –

1. अर्जुन पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. भागाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 124 / 122 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 7 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 144 / 83 की कुल 1.9670 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 12 / 10 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता किया है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124 / 122 की कुल .5060 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में औसतन .032 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। रोही मौजा 7 केएनएन के खाता संख्या 144 / 83 की कुल 1.9670 हैक्ट भूमि के पत्थर न0 338 / 372 के मु0न0 50 के किला न0 20 / 1 की .196 हैक्ट भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बजाय प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है रोही मौजा 5 केएनएन के सम्वत 2075–'78 के खाता संख्या 12 / 10 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि के प0न0 340 / 373 के मु0न0 59 के किला न0 8 / 1 की .2280 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:54 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 3 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 294/189 की कुल 11.5140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 व 2 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 124/122 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में से औसतन .032 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रोही मौजा 7 केएनएन के खाता संख्या 144/83 की कुल 1.9670 हैक्ट भूमि पत्थर न0 338/372 मु0न0 50 के किला न0 20/1 की .196 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि प0न0 340/373 के मु0न0 59 किला न0 8/1 की .2280 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –530/2023

अनवान : –

1. अर्जुन पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. भागाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 530 सन 2023 निर्णय दिनांक 21.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 124/122 की कुल 0.506 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के नाम दर्ज भूमि में से औसतन .032 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 7 केएनएन के खाता संख्या 144/83 की कुल 1.9670 हैक्ट भूमि पत्थर न0 338/372 मु0न0 50 के किला न0 20/1 की .196 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की बजाय प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा 5 केएनएन के खाता संख्या 12/10 की कुल 0.4940 हैक्ट भूमि प0न0 340/373 के मु0न0 59 किला न0 8/1 की 0.2280 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:04:54 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी